



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1943 (श०)

(सं० पटना 950) पटना, वृहस्पतिवार, 18 नवम्बर 2021

कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय (बिहार)

अधिसूचना

16 नवम्बर 2021

सं० 13/उ०नि०-148/2018/6141-कृ० भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उद्यान निदेशालय के नियंत्रणाधीन बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि-7 (उद्यान) के चतुर्थवर्गीय पद परिचारी (उद्यान सेवक) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।-

- (1) यह नियमावली बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि-7 (उद्यान) के चतुर्थवर्गीय पद-परिचारी (उद्यान सेवक) भर्ती नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा** ।-

- (1) विभाग से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग (उद्यान निदेशालय), बिहार।
- (2) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार चतुर्थवर्गीय पद परिचारी (उद्यान सेवक) का संवर्ग।
- (3) आयोग से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
- (4) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष का 31 मार्च की अवधि।
- (5) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है "निदेशक उद्यान"।
- (6) "सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार चतुर्थवर्गीय संवर्ग उद्यान में नियुक्त कोई व्यक्ति।
- (7) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक उद्यान, कृषि विभाग, बिहार सरकार।

3. **संवर्ग का गठन एवं पद सोपान** ।- यह सेवा राज्य स्तरीय सेवा होगी तथा कृषि विभाग अन्तर्गत निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार इस सेवा का नियोक्ता-सह-नियंत्री प्राधिकार होंगे।

(1) इस सेवा का मूल पद, परिचारी (उद्यान सेवक) होगा।

4. **संवर्ग की संरचना** — परिचारी (उद्यान सेवक) चतुर्थवर्गीय संवर्ग की संरचना निम्नलिखित होगी :—

4.1 — **परिचारी (उद्यान सेवक) संवर्ग** :—

क्र. सं.	पद का नाम	स्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	परिचारी (उद्यान सेवक)	मूल कोटि	(i) इस पद का वेतन स्तर वही होगा, जो समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। (ii) इस पद का स्वीकृत बल वही होगा, जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय। (iii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से परिचारी (उद्यान सेवक) के पद पर कार्यरत सभी कर्मि स्वतः इस संवर्ग में सम्मिलित समझे जाएँगे।

5. **मूल कोटि में नियुक्ति** —

5.1 **परिचारी (उद्यान सेवक)** :—

नियुक्ति :—

(1) **नियुक्ति का पद एवं शैक्षणिक योग्यता** :— परिचारी (उद्यान सेवक) की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। नियुक्ति उपरांत मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय अथवा सरकारी संस्थान में उद्यान कार्य में छः माह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

6. नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही मान्य होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएगी।

7. **आरक्षण** — भर्ती में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **नियुक्ति** — (क) बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(ख) बिहार सरकार के अन्तर्गत “विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्ती के तहत नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।”

(ग) चयन हेतु मेधा सूची का निर्माण निम्न रीति से कुल 100 (सौ) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

(i) आयोग की परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता — 75 अंक

(ii) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्य अवधि की अधिमानता — 25 अंक
संविदा नियोजन के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक होगी।

नोट :—“संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भुगतान के आधार पर निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की तिथि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।”

(घ) समान अंक प्रतिशत प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दिया जाएगा।

9. **सेवा सम्पुष्टि** — तीन साल की सेवा पूर्ण होने पर सेवा सम्पुष्टि की जाएगी।

10. **अवशिष्ट मामलें** — जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान, इस सेवा के संदर्भ में लागू माने जायेंगे।

11. **निरसन एवं व्यावृत्ति** —

(1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एन० सरवण कुमार,
 सचिव।

The 16th November 2021

No.-13/D.H-148/2018-6141--Agri. Towards exercising the powers conferred by the provision of Article 309 of the Constitution of India of all rules made in this behalf, Governor of Bihar hereby makes the following rules for regulating the recruitment, promotion and service conditions of Bihar Agriculture Subordinate Service Group-7 (Horticulture), 'Level 4' Category Attendant (Udyaan Sewak) which is under the control of Directorate of Horticulture, namely:-

1. Brief Name, Description and Commencement:

- (1) These rules may be called the Recruitment of Bihar Agriculture Subordinate Service Group-7 (Horticulture), 'Level 4' Category Attendant (Udyaan Sewak) Recruitment Rules, 2021.
- (2) This shall be applicable across the State of Bihar.
- (3) These shall come into force with immediate effect.

2. Definition:

- (1) Department means Department of Agriculture (Directorate of Horticulture), Government of Bihar
- (2) "Cadre" means the cadre of Bihar Level 4 category Attendant (Udyaan Sewak) cadre post
- (3) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission
- (4) "Year" means financial year period from 1st April to 31st March
- (5) "Concerned Authority" means "Director Horticulture"
- (6) "Member" means Person recruited under Bihar Level 4 category Attendant (Udyaan Sewak) cadre post
- (7) "Appointed Authority" means Director Horticulture, Department of Agriculture, Government of Bihar

3. Constitution of Cadre and hierarchy of the post: This service shall be at the State level and Director Horticulture under the Department of Agriculture, Government of Bihar shall be the appointing -cum-controlling authority

- (1) The service shall consist of Attendant (Udyan Sewak) post

- 4. Structure of the cadre:** The structure of the Attendant (Udyan Sewak) Level 4 cadre shall be as follows:

4.1. Attendant (Udyan Sewak) Cadre:

S.N.	Name of Post	Level	Particulars
1	2	3	4
1	Attendant (Udyan Sewak)	Original Category	(i) The salary of this post would be the same as determined by finance department from time to time basis (ii) The approved number of posts would be the same as determined by Government of Bihar from time to time basis (iii) From the date of the recruitment rules coming into force, the employees working on the post of Attendant (Udyan Sewak) shall be automatically considered under this cadre

5. Recruitment under the Original Category-

5.1 Attendant (Udyan Sewak):

Recruitment:

- (1) Post of recruitment and educational qualification:** The educational qualification of Attendant (Udyan Sewak) shall be matriculation pass. Post recruitment training on horticultural activities from recognized Agricultural University or Government Institute for a period of six months shall be mandatory.
- 6.** The minimum age of recruitment would be 18 years and the maximum age shall be the same which State Government (General Administration Department) determines on time to time basis.
- 7. Reservation-** During recruitment, compliance to notified reservation/roaster issued by State Government on time to time basis in this regard shall be required.
- 8. Recruitment-**
- (A) The advertisement for recruitment on vacant posts shall be published by the Bihar Staff Selection Commission. The list of selected candidates based on merit after competitive exams shall be recommended to recruitment authority. The merit list shall be valid for one year from the date of recommendation received.
- (B) The direct recruitment of duly employed and contractual employee of Government of Bihar on the same post, the maximum age shall be relaxed to the year for which they have provided their services in the Government of Bihar on contractual basis.
- (C) The merit list for selection shall be made on the basis of total marks received out of total marks of 100 by following rule:

(i) Weightage of marks received in written exam of Commission and interview - 75 Marks

(ii) Weightage on years of experience of working on contractual basis with Government of Bihar 25 Marks

Every one year of contractual work shall consists of 5 marks with a total marks of 25.

Note:-“The contractual service period shall be decided by the controlling officer on the basis of scale of payment issued under payment certificate. For the purpose of calculating the work experience period, the service period shall be estimated from the date of publication of the advertisement.”

(D) In case the marks secured by the candidates in the written examination is same, candidate with higher age shall be given preference.

9. Service Confirmation- The appointment confirmation shall be made after completion of service period of three years.

10. Remaining Matters- Any matter or points not covered under these rules, the provisions of the existing rules/ manual/ order/ instruction by State Government shall be applicable for the time being.

11. Repeal and Variation-

(1) All the orders/instructions/circulars released for the recruitment/service condition of this cadre before the commencement of these rules in so far are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the orders so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By the order of Governor of Bihar,
Dr. N.Saravana Kumar,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 950-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>